महत्वपूर्ण

संख्या- 19/2023/3975/58-1-2022-2/1(22)10टी.सी.।

प्रेषक,

अनामिका सिंह,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2. निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उ0प्र0, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2023**

विषय:- समन्वित बाल विकास परियोजना कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया का पुनर्निर्धारण।

महोदय/महोदया,

समन्वित बाल विकास कार्यक्रम के अंतर्गत आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की मानदेय पर संविदा आधारित नियुक्ति के संबंध में पूर्व में निर्गत समस्त शासनादेशों को अवक्रमित करते हुए एतद्द्वारा सम्यक विचारोपरान्त चयन प्रक्रिया निम्नवत् प्रख्यापित की जाती है:-

1.	शैक्षिक योग्यता	आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं हेतु शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या उसके समकक्ष होगी।
2.	आयु सीमा	(I) आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष होगी। (II) आयु के संबंध में आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका के लिए हाईस्कूल अंक तालिका एवं प्रमाण-पत्र में अंकित जन्मतिथि ही मान्य होगी। (III) 62 वर्ष की आयु प्राप्त होने के उपरांत उनकी मानदेय आधारित सेवाएं स्वत: समाप्त हो जायेंगी। ऐसी सेवा समाप्ति/सेवानिवृत्ति की तिथि प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष (02 मई से 30 अप्रैल तक) में 30 अप्रैल रहेगी। यथा-यदि किसी कार्यकत्री/सहायिका की आयु माह मई, 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है, तो उसकी सेवा-समाप्ति/सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल, 2025 को हो जायेगी। इसी प्रकार यदि किसी कार्यकत्री/सहायिका

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		की आयु माह अप्रैल, 2024 में 62 वर्ष पूर्ण हो रही है, तो उसकी सेवा-समाप्ति/सेवानिवृत्ति दिनांक 30 अप्रैल, 2024 को हो जायेगी।
3	चयन हेतु पात्रता/ अर्हता	(क) सर्वप्रथम आंगनवाड़ी कार्यकत्री के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर आंगनवाड़ी कार्यकत्री के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिका से चयन की कार्यवाही की जायेगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत् होगी:- (I) सर्वप्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाली ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनवाड़ी केन्द्र की सहायिका, जिसकी न्यूनतम अर्हकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 05 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो, का चयन किया जाएगा। (II) तत्पश्चात् रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्रों में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनवाड़ी केन्द्रों पर तैनात अर्ह आंगनवाडी सहायिकाओं में से मेरिट के आधार पर चयन किया जायेगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिन्दु संख्या 07 में उल्लिखित है। (III) परियोजना स्तर पर 50 प्रतिशत कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50 प्रतिशत पदों पर चयन किया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के केन्द्रों की सूची सहित अर्ह आंगनवाड़ी सहायिका का पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा-नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का सम्पूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध करायेंगे। (IV) चयन के समय विगत 5 वर्ष में नियमित रूप से मानदेय भुगतान, कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही, तीन माह अथवा उससे अधिक अनधिकृत अनुपस्थिति रही हो, तो चयन नहीं किया जायेगा। (V) परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री के 50 प्रतिशत पदों पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनवाड़ी सहायिकाओं से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद पर चयन में यह ध्यान रखा जाय कि किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित न हो अथवा प्रचलित/विद्यमान आरक्षण प्रक्रिया का उल्लंघन किसी भी दशा में न किया जाय।

(VI) जनपद के समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा यह प्रमाण पत्र जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जाएगा कि निर्धारित तिथि को उपरोक्तानुसार किसी पात्र/अर्ह का नाम छूटा नहीं है। कट ऑफ डेट का निर्धारण निम्नवत किया जाएगा-01 जुलाई (यदि चयन की कार्यवाही/चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 01 जुलाई से 31 दिसम्बर के बीच की जा रही है)/01 जनवरी (यदि चयन की कार्यवाही/चयन की विज्ञप्ति का प्रकाशन 01 जनवरी से 30 जून के बीच की जा रही है)।

(VII) जिला कार्यक्रम अधिकारी (नियुक्ति प्राधिकारी) द्वारा उपरोक्तानुसार पदों एवं रिक्तियों का विवरण चयन समिति के समक्ष प्रस्तुत कर जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर चयन की कार्यवाही 15 दिवस में पूर्ण कर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा।

(VIII) इस प्रकार चयन का केन्द्रवार विस्तृत कार्यवृत्त चयन समिति द्वारा अनिवार्यतः जारी किया जायेगा और उसकी प्रति निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को प्रेषित की जायेगी।

(IX) उपरोक्तानुसार आंगनवाड़ी कार्यकत्री के 50 प्रतिशत पद सहायिकाओं से भरे जायेंगे। सहायिकाओं के उपलब्ध न होने की स्थिति में रिक्त पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा जायेगा तथा कोई भी पद आगामी चयन के लिए रिक्त नहीं रखा जाएगा।

(X) चयन समिति द्वारा चयन पत्रावली पर परियोजनावार विवरण के साथ यह अभिलिखित किया जाएगा कि कुल कितने प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकत्री के पद चयन द्वारा भरे गए हैं, ताकि भविष्य में जब भी पुनः आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर विज्ञप्ति प्रकाशित की जाएगी, तो यह ध्यान रखा जाएगा कि उपरोक्तानुसार 50 प्रतिशत आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पदों पर पात्र/अर्ह आंगनवाड़ी सहायिकाओं का चयन किया जाए।

(ख) आंगनवाड़ी सहायिकाओं से आंगनवाड़ी कार्यकत्री के रिक्त पद पर चयन उपरान्त सहायिकाओं के रिक्त हुए पदों को सम्मिलित करते हुए जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		आंगनवाड़ी कार्यकत्री तथा सहायिकाओं के पद पर चयन हेतु अनिवार्यतः एक स्थानीय तथा एक प्रदेश स्तर के समाचार-पत्र में विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी। एक से अधिक केन्द्र या पदों पर आवेदिका द्वारा किये गये आवेदन मान्य होंगे। (ग) सीधी भर्ती हेतु आंगनवाड़ी कार्यकत्री/मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पदों पर चयन की वरीयता- (I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला। (II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला। (III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं। (घ) उपरोक्तानुसार कोई अभ्यर्थी न मिलने पर उपरोक्त वरीयता के क्रम में हीः- (I) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधवा महिला। (II) उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की निवासी गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की विधिक तलाकशुदा या परित्यक्ता महिला। (III) विधवा/तलाकशुदा/परित्यक्ता महिला के गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार का अभ्यर्थी न मिलने पर उसी ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) की गरीबी रेखा के ऊपर जीवन यापन करने वाले परिवार की महिलाएं। (ङ) उसी ग्राम सभा में उपरोक्त किसी भी श्रेणी में पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध न होने पर संबंधित न्याय पंचायत में से उपरोक्तानुसार श्रेणीवार चयन किया जायेगा। (च) (I) विधवा हेतु ग्राम पंचायत अधिकारी/सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा निर्गत मृत्यु प्रमाण पत्र एवं परिवार पंजिका की प्रमाणित नकल मान्य होगी। (II) तलाकशुदा/परित्यक्ता के संबंध में मा0 न्यायालय द्वारा निर्गत विधिक आदेश मान्य होंगे।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		(III) आय के संबंध में तहसील द्वारा निर्गत नवीन (विज्ञापन जारी होने की तिथि से छः माह के पूर्व का मान्य नहीं) ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत आय प्रमाण-पत्र ही मान्य होगें, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो। (IV) निवास व जाति प्रमाण-पत्र के सम्बन्ध में तहसील से ऑनलाइन डिजिटल हस्ताक्षर से निर्गत निवास व जाति प्रमाण-पत्र ही मान्य होंगे, जिनका ऑनलाइन सत्यापन सम्भव हो।
4.	आवेदन पत्रों की प्राप्ति	चयन की प्रक्रिया जनपद के जिलाधिकारी द्वारा पूर्णतः सम्पादित करायी जायेगी। निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश द्वारा एन0आई0सी0 से केन्द्रीकृत प्रारूप विकसित कराकर विभागीय वेबसाइट पर अपलोड़ कराएंगे, जिससे समरूपता बनी रहे एवं अभ्यर्थियों को आवेदन भरने में सुगमता हो। आवदेन पत्र विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध फार्मेट पर ऑनलाइन व सही-सही सावधानी पूर्वक भरे जायेंगे। आवेदिका द्वारा अभिलेखों की स्व-हस्ताक्षरित प्रति, जो स्वच्छ व पठनीय हो, अपलोड की जाएंगी, जिनका उल्लेख उनके द्वारा ऑनलाइन फार्म में किया गया होगा। कोई भी आवेदन या अभिलेख/प्रपत्र ऑफलाइन या डाक द्वारा मान्य नहीं होंगे। यदि आवेदन करने में कोई त्रुटि होती है या कोई तथ्य/आंकड़े/शैक्षिक अभिलेखों के प्राप्तांक/पूर्णांक गलत या कूटरचित पाए जाएंगे, तो अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।
5.	चयन समिति का गठन	आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के चयन/भर्ती हेतु शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों हेतु चयन समिति का गठन निम्नवत् किया जाता है:- (1) जिलाधिकारी द्वारा नामित मुख्य विकास अधिकारी अथवा अपर जिलाधिकारी स्तर का वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी - अध्यक्ष (2) जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी - सदस्य सचिव (3) जिलाधिकारी द्वारा नामित अनुसूचित जाति/जनजाति के जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य (4) जिलाधिकारी द्वारा नामित अन्य पिछड़ा वर्ग के जिला स्तरीय अधिकारी - सदस्य (5) जिलाधिकारी द्वारा नामित जनपद में तैनात समूह 'क' अथवा 'ख' की महिला अधिकारी - सदस्य

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

		(6) सम्बन्धित परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी - सदस्य/प्रस्तुतकर्ता
6	कोरम	चयन समिति की बैठक में किन्हीं 04 सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी, जिसमें अध्यक्ष व जिला कार्यक्रम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे, किन्तु उसमें अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य होगा, जो सदस्य अनुपस्थित होगा, उसका विवरण अंकित किया जायेगा।
7	मेरिट सूची तैयार किये जाने की प्रक्रिया	(I) एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनायी जायेगी। आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इण्टरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परास्नातक के आधार पर मेरिट तैयार की जायेगी। (II) अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा, वही उसका अंक माना जायेगा अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाईस्कूल परीक्षा में 45 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे 45÷10=4.5 अंक प्राप्त होंगे, इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59 प्रतिशत अंक प्राप्त हुए हैं, तो उसे 59÷10=5.9 अंक प्राप्त होंगे। (III) इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्वति में प्राप्त अंक भी आगणित किये जायेंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के तीन अंकों तक गणना की जायेगी। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जायेगा। (IV) समस्त परीक्षाओं के अंकों को जोड़ने के पश्चात् मेरिट लिस्ट तैयार की जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं, तो अधिक आयु वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आयु भी समान हों, तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जायेगी।
8	आरक्षण	(I) आंगनवाड़ी कार्यकत्रियों व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) हेतु समय-समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से सम्बन्धित शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा। (II) जिन आंगनवाड़ी केन्द्रों की कार्यकत्रियों, मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं के चयन के सम्बन्ध में पूर्व में कई बार चयन की कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		न होने के कारण चयन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी है, उनमें से अनुसूचित जाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षित पद हेतु अधिकतम दो बार विज्ञप्ति प्रकाशित करायी जायेगी और यदि आरक्षित वर्ग के सम्बन्धित पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं, तो सम्बन्धित ग्राम सभा/न्याय पंचायत क्षेत्र से पुनः आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। इसके बाद भी यदि पात्र अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो पूरी परियोजना में आरक्षण की स्थिति का पुनः आंकलन कर लिया जाय और इस केन्द्र को अनारक्षित करते हुए आवश्यकता हो, तो किसी अन्य रिक्त केन्द्र को आरक्षण की श्रेणी में ले लिया जाये, जिसमें आरक्षित वर्ग की अभ्यर्थी उपलब्ध हो। यदि परियोजना स्तर पर उपरोक्त कार्यवाही किये जाने के उपरान्त भी आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी नहीं मिलते हैं, तो जनपद स्तर पर जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा आरक्षण का आंकलन कर लिया जाये और एक परियोजना में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के कारण उसकी प्रतिपूर्ति दूसरी परियोजना में रिक्त पदों पर आरक्षण करते हुए पूर्ण कर ली जाय । इन दोनों स्थितियों में जिलाधिकारी का अनुमोदन आवश्यक एवं अनिवार्य होगा।
9.	पदों का निर्धारण	जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर रिक्तियॉ आगणित कर नियमानुसार आरक्षण व पदों का निर्धारण कर जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त विभागीय पोर्टल पर जनपद की लॉगिन आई.डी. के माध्यम से रिक्त पदों को विज्ञापित (अपलोड) किया जाएगा।
10.	अभिलेखों का सत्यापन/ नियुक्ति पत्र	(I) एक परियोजना के चयनित समस्त अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का अवलोकन चयन समिति के एक सदस्य/जिला कार्यक्रम अधिकारी व सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी की समिति द्वारा किया जाएगा। (II) सब कुछ सही होने पर नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त अनिवार्यतः आगामी 15 कार्यदिवस के अन्दर नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे और यदि किसी अभ्यर्थी के मूल प्रमाण-पत्र में कोई भिन्नता या संदेह की स्थिति पायी जाती है, तो वस्तुस्थिति से जिलाधिकारी को पत्रावली पर विवरण सहित अवगत कराया जाएगा और उसके प्रमाण-पत्र का सत्यापन कराकर निर्णय लिया जाएगा। (III) चयनित अभ्यर्थी की सूची और कार्यवृत्त की प्रति अनिवार्यतः निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार को प्रेषित की जाएगी।
11.	नियुक्ति	(I) चयन समिति द्वारा संस्तुत की गयी चयन सूची पर जिलाधिकारी द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। जिलाधिकारी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अनुमोदनोपरान्त नियुक्ति की कार्यवाही सम्पन्न की जायेगी। (II) आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के नियुक्ति प्राधिकारी जिला कार्यक्रम अधिकारी होंगे। (III) नियुक्ति/तैनाती आदेश में स्वीकृत केन्द्र के मूल स्थान/मूल स्थल का भी उल्लेख होना अनिवार्य होगा अर्थात एक ग्राम सभा/वार्ड में कई केन्द्र सृजित हों, तो केन्द्रों को प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय के वरीयता क्रम में रखा जायेगा। (IV) नियुक्ति पत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र का 11 डिजिट कोड (नम्बर) सहित केन्द्र का स्पष्ट उल्लेख किया जायेगा। आंगनवाड़ी सहायिका से आंगनवाड़ी कार्यकत्री पद पर चयन किए जाने की स्थिति में नियुक्ति पत्र में आंगनवाड़ी केन्द्र का 11 डिजिट कोड (नम्बर) सहित चयन शब्द का भी उल्लेख किया जाएगा। (V) रिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र पर चयनित अभ्यर्थी की सूची के साथ-साथ वरीयता क्रम में द्वितीय स्थान में आने वाली अभ्यर्थियों की सूची भी तैयार की जायेगी। चयनित अभ्यर्थी के योगदान न करने पर वरीयता क्रमानुसार द्वितीय का चयन उक्त सूची के अनुसार जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। रिक्त आंगनवाड़ी केन्द्र पर चयनित अभ्यर्थी द्वारा योगदान करने के उपरान्त भविष्य में उक्त केन्द्र के रिक्त होने पर वरीयता सूची पर अंकित नाम मान्य नहीं होगा। वरीयता क्रम सूची नियुक्ति पत्र निर्गत तिथि से तीन माह (90 दिवस) तक ही मान्य होगी। तत्पश्चात उक्त पदों पर पुनः विज्ञप्ति प्रकाशित किया जाना आवश्यक होगा।
12.	समायोजन	(I) यदि कोई कार्यरत आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री या सहायिका शादी के पश्चात ससुराल में निवास कर रही है, तो उसकी ससुराल की ग्राम सभा/वार्ड (शहरी क्षेत्रों में) में पद रिक्त होने पर आरक्षण का ध्यान रखते हुए जनपद के अन्दर होने की स्थिति में जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर समायोजित किया जाएगा। (II) जनपद से बाहर समायोजन की स्थिति में तैनाती जनपद की बाल विकास परियोजना अधिकारी एवं जनपद के जिला कार्यक्रम अधिकारी के माध्यम से जिलाधिकारी के अनुमोदन एवं जिस जनपद में समायोजन होना है, उस परियोजना के बाल विकास परियोजना अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी एवं जिलाधिकारी के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

		अनुमोदनोपरान्त आरक्षण का ध्यान रखते हुए समायोजन किया जाएगा। इस प्रकार के प्रकरणों में निदेशालय स्तर से किसी मार्गदर्शन/अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। (III) यदि जनपद के अन्तर्गत कोई दो आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका परस्पर समायोजित की जा सकती हैं, तो इस सम्बन्ध में उनका प्रार्थना पत्र प्राप्त कर निवास प्रमाण पत्र की पुष्टि के पश्चात जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करते हुए समायोजित किये जाने पर विचार किया जायेगा। उक्त स्थिति में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि वे वर्तमान समय में वहां की निवासी हों तथा किसी भी दशा में आरक्षण प्रभावित नहीं हो। (IV) एक आंगनबाड़ी केन्द्र पर एक ही परिवार की दो महिलाओं की नियुक्ति आंगनबाड़ी कार्यकत्री व सहायिका के पद पर नहीं की जायेगी।
13.	सेवा समाप्ति	(I) यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनवाड़ी कार्यकत्री व मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र की कार्यकत्री एवं सहायिका द्वारा ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष/ब्लाक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद/पार्षद तथा महापौर आदि पर निर्वाचित हो जाती है, तो उसकी मानदेय आधारित संविदा सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जायेगी। इसके लिए अलग से नोटिस दिये जाने की बाध्यता/आवश्यकता नहीं होगी। (II) यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से सम्बन्धित अपना गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है, तो ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी से आख्या प्राप्त कर मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी। (III) यदि कोई आंगनवाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका अपने दायित्व का निर्वहन ठीक से नहीं करती है, अनधिकृत रूप से अनुपस्थित रहती है, केन्द्र का संचालन/अनुपूरक पोषाहार का वितरण ठीक से नहीं करती है, तो उसे नोटिस देकर जिलाधिकारी स्तर पर सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए जिलाधिकारी का अनुमोदन प्राप्त कर संविदा आधारित मानदेय सेवा समाप्त की जाएगी।

2- उपर्युक्त प्रस्तर-1 के बिन्दु-4, 5 व 6 में जिलाधिकारी के लिये किये गये उपबन्ध दिशा-निर्देश हैं। चयन प्रक्रिया का पूर्ण दायित्व जिलाधिकारी का होगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया इस शासनादेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा इस शासनादेश के निर्गत होने के पश्चात यदि पूर्व में कोई चयन की कार्यवाही जनपद में प्रारम्भ की गयी हो तो उसे निरस्त कर दिया जाये। समस्त जिलाधिकारीगण से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने कुशल नेतृत्व एवं प्रभावी नियंत्रण में उक्त कार्यवाही को पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ सम्पादित करायेंगे।

भवदीया,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

संख्या- 19/2023/3975(1)/58-1-2022, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास/पंचायती राज विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना अधिकारी, एन0आई0सी0, योजना भवन, लखनऊ।
5. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी/प्रभारी जिला कार्यक्रम अधिकारी/बाल विकास परियोजना अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनामिका सिंह)
सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।